"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गंजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जुलाई 2010—श्रावण 6, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 28 जुलाई, 2010 (श्रावण 6, 1932)

क्रमांक -8226/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010), जो दिनांक 28 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 18 सन् 2010)

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन.

2. हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) की धारा 7 की उप-धारा (1) में शब्द "भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे, के स्थान पर शब्द "भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उनके द्वारा नामित, जो भारत के उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश हों, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे" प्रतिस्थापित किया जाये.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया गया है. अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति कुलाध्यक्ष होंगे. कुलाध्यक्ष के उत्तरदायित्व के साथ न्याय करने के क्रम में राज्य सरकार ने हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम 2003 (क्रमांक 10 सन् 2003) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
तारीख 21 जुलाई, 2010

रामविचार नेताम
विधि और विधायी कार्य मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 की धारा 7 की उपधारा (1) का सुसंगत उद्धरण -

* * * * * * * * * * * * *

धारा 7 विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष :-
(1) भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे,

* * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.